FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
गुरजन्तसिंह पुत्र सुरजीतसिंह निवासी बुरज हमीरा तहसील निहालसिंहवाला जिला मोगा पंजाब बहैसियत खास मुख्त्यार कमरजीतसिंह पुत्र हाकमसिंह निवासी बुर्ज रोड़ पोस्ट गाजीना तहसील निहालसिंहवाला जिला मोगा पंजाब		राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 42 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.09.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 139/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी 04 एडी 1335 मय असल दस्तावेज को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली सहित दिनांक 20.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
20.9.21	प्रार्थी की ओर से वकील सतपाल सिंवर उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार उपस्थित। श्री राजेन्द्र कुमार हेड कानिन्सटेबल पुलिस थाना डीडवाना उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी 04 एडी 1335 चेसीस नम्बर एम.बी. 1ए.9सी.एच.डी.2एल.आर.डी.ई.6514 का रजिस्टर्ड मालिक कमरजीतसिंह है। प्रार्थी गुरजन्तसिंह उसका खास मुख्तयार है, अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। उक्त वाहन को असल दस्तावेजात सहित मुकदमा नं0 [illegible] में पुलिस थाना डीडवाना ने अपनी तहवील में रखा है। प्रकरण [illegible] में वाहन मय असल दस्तावेजात की आवश्यकता नहीं है [illegible] की उक्त वाहन मय असल दस्तावेजात की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में रख रखाव के अभाव में वाहन पड़े पड़े खराब होने की पूर्ण संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाके पेश कर देगा, खुर्दबुर्द, गिरवी, बेचान आदि नहीं करेगा। प्रार्थी को उक्त वाहन के अभाव में आर्थिक क्षति हो रही है। यह वाहन ही प्रार्थी के परिवार के जीविकोपार्जन का साधन है। इस कारण प्रार्थी को वाहन मय दस्तावेजात जमानतनामा व सुपर्दगीनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया है।	

गुरजन्तसिंह
Identified

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 42/2021 गुरजन्तसिंह V/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.9.21 (नागौर)	अभियोजन अधिकारी व श्री राजेन्द्र कुमार हेड कानिन्सटेबल पुलिस थाना डीडवाना ने कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पीबी 04 एडी 1335 मय मूल दस्तावेज की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर मूल दस्तावेज वकील प्रार्थी को पुनः लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 139/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक–3898 दिनांक 20.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी 04 एडी 1335 की अनुसंधान में कोई अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, खास मुख्तयार प्रार्थी गुरजन्तसिंह पुत्र सुरजीतसिंह निवासी बुरज हमीरा तहसील निहालसिंहवाला जिला मोगा पंजाब को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 23,00,000/–रूपये(अक्षरे रूपये तेबीस लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 139/2021 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी 04 एडी 1335 मय मूल दस्तावेज को प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन व वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।– 1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा। 3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना डीडवाना की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही, फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर जिला कलेक्टर,नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:15 IST
Reason: SelfAttested